न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

एन.सी.आर. सं०	**101/22**

राज्य बनाम विक्रम आदि।

CNR No.UPKR040246862022

दिनांक–26.08.2022

प्रार्थी/अभियुक्तगण विक्रम, भारत, मथुरी एवं लडैते की ओर से एन०सी० आर० सं०–18/21 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जिला कासगंज के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में कतई झूंठा एवं रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार हैं व दौरान विचारण मुकदमा अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

अभियोजन पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आत्मसमर्पण कर अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रस्तुत प्रकरण में धारा–506 आई०पी०सी० के अतिरिक्त सभी धाराएं जमानतीय हैं। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण विक्रम, भारत, मथुरी, लडैते को एन०सी०आर०सं०–18/21, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना सिकन्दरपुर वैश्य के प्रकरण में उनके द्वारा 20,000–20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।